

7.1.3 Vision Mission, Fundamental Right

<http://www.kmgcbadalpur.org/vision-mission/>

The screenshot shows the college's official website with the following details:

- Vision & Mission** page.
- Header includes the college's name, logo, and various navigation links like Home, About Us, Administration, Faculty, Admission, Student Corner, Publication, IITAC/NAAC, and Alumni.
- 使命 (Mission)**: To provide low-cost quality higher education to the girl students of socio-economically weaker sections of the area in order to bridge the rural-urban divide and thus bring about holistic national development.
- 愿景 (Vision)**: As a unit of Uttar Pradesh Government higher education, Kumar Mayawati Govt. Girls Post Graduate College, Badalpur is engaged in pursuit of academic excellence, in order to achieve the empowerment of women in the adjoining rural area by:
 - The development of leadership skills, inner strength and self-reliance;
 - Inculcating moral values and tolerance among the students;
 - Making new technological innovations available to the target group, in order to prepare them to face national and global challenges.
- A large image of a person looking through a telescope is displayed on the right side of the page.
- Bottom navigation bar includes links for sharing on Twitter, Facebook, and LinkedIn.





भारतीय संविधान में वर्णित

मूल अधिकार

भाग - 3 में वर्णित अनु . 12 से 35 तक

प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि उसे

1. कालून के समक्ष समान समझा जाये, समाजिक जीवन में उनके साथ भेदभाव न किया जाये, राज्य के आधीन किसी पद पर नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाये (अपवाद-अनु.जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग)
2. विद्यार्थ अभिव्यक्ति, शिक्षितपूर्वक निःशुल्क सभा करने, निवास करने व आजीविका घलाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये।
 - एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाये व अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न किया जाये।
 - जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विचित न किया जाये।
 - 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाये।
 - बिना काटण बताये गिरफ्तार न किया जाये।
3. जबरदस्ती बेगार श्रम के लिए बाध्य न किया जाये।
 - 14 वर्ष से कम आयु होने पर किसी जोखिम भरे व्यवसाय में न लगाया जाये।
4. अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता दी जाये।
 - धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता दी जाये व उसके प्रबन्ध में लगी धनराशि पर कर देने के लिए बाध्य न किया जाये।
 - राज्य विधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाये व किसी विद्यार्थी को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य न किया जाये।
5. अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता दी जाये।
 - एक अल्पसंख्यक नागरिक के रूप में उसे अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने व संघालित करने की स्वतंत्रता दी जाये।
6. उपरोक्त किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने दिया जाये व उसके अधिकारों के उल्लंघन को रोका जाये।
(उपर्युक्त अधिकारों में से जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त सभी आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। व राज्य द्वारा उन पर उथित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं)

सौजन्य

राजनीतिविज्ञान विभाग



Scanned with
CamScanner

